न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 58 /2023 प्रा0पत्र दिनांक– 10.02.2023

अनवान

राकेश कुमार पिता गणपतलाल खटीक **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

–:: आदेश ::–

प्रार्थी राकेश कुमार पिता गणपत लाल खटीक निवासी जिन्द्रास तहसील आसिन्द के ग्राम लादुवास आराजी नम्बर 43/1 में आने जाने के रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 251ए दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी एंव तहसीलदार करेड़ा की अभिशंषा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम लादुवास पटवार हल्का लादुवास तहसील करेड़ा के आराजी न.43 रकबा 1.2267 हैक्टर किस्म बंजड में से 0.0540 हैक्टर प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग की जा रही है। रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग की होने तथा ग्राम वासियान एवं खातेदारों के खेतों पर आने–जाने के काम आ रहा हैं मौके पर रास्ता चालू हैं परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया हैं साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार करेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम लादुवास पटवार हल्का लादुवास तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0न0 43 रकबा 1.2267 हैक्टर में से 0.0540 हैक्टर कुल किता 01 रकबा 0.0540 हैक्टर भूमि की वर्तमान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी 20660/–रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष मे जमा करा मौके पर उक्तानुसार चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में, संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार अंकन करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा